न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 58/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00224

उनवान

1. खचेरा पुत्र श्री वेदरिया जाति चमार निवासी ग्राम भैसेना तहसील व जिला धौलपुर।(मृतक)
   1/1. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
   1/2. श्रीमती रूपवती पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
   1/3. बृजकिशोर पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
   1/4. कमल किशोर पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
   समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम भैंसेना तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.2017 प्रकरण संख्या 20/2013 उनवान खचैरा बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री अशोक सक्सैना अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–25.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 02 बीघा 6 विस्वा, 176 रकबा 16 विस्वा, 177 रकबा 16 विस्वा वाके ग्राम भैंसेना तहसील व जिला धौलपुर पर वादी खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 289/1 का विधिवत आवण्टन सवंत 2017 में वादी के नाम हुआ और मौके पर वादी को कब्जा प्रदान किया गया। आवण्टन व कब्जे के आधार पर बंदोबस्त विभाग ने वादी को गैर खातेदार काश्तकार अंकित किया गया। परन्तु वादी आदिनांक तक विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार दर्ज होते चले आ रहा है। जबकि वादी को मुताबिक कानून विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी का विधिवत आवंटन अपीलाण्ट के पिता को संवत 2017 में हुआ था एवं अपीलाण्ट के पिता विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार दर्ज अभिलेख है एवं विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट के पिता व उनके बाद उनके विधिक वारिसान संवत 2017 से ही काबिज काश्त हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर बिना कोई साक्ष्य लिये, बिना जिरह किये एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श अंकित करते हुये अपीलाण्ट को बिना सुने मनमाने तौर पर अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। अपीलाण्ट ने विवादित आराजीयात पर विधिवत व निरन्तर अपना कब्जा काश्त सावित किया है जिसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर संवत 2031 से 2071 तक की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की है जिसमें कि काश्त व फसल का इन्द्राज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नहीं मानकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपने निर्णय में यह कहना कि वादी ने आवंटन के आदेश/पट्टे की प्रति प्रस्तुत नहीं की है इसलिये दावा वादी खारिज किया जाता है। जबकि वादी अपीलाण्ट ने उक्त आवंटन की प्रति प्राप्त करने के लिये जिला अभिलेखागार धौलपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उक्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार धौलपुर ने यह कहते हुये खारिज कर दिया कि उक्त दस्तावेजात जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। अतः नकल दिया जाना संभव नहीं है। अपीलाण्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी चूंकि उक्त दस्तावेजात को न्यायालय में तलब किया जा सकता था लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार धौलपुर की टिप्पणी पर गौर किया एवं ना ही उक्त दस्तावेजात को न्यायालय में तलव किया। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि न्यायालय को प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करना आवश्यक है परन्तु अपीलाधीन आदेश में किसी भी विवाद्यक का निष्कर्ष अंकित नहीं किया है। फलस्वरूप आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही उन्होंने कथित आवंटन के दस्तावेजात ही प्रस्तुत किये हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार गलत रूप से दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश तनकीवार पारित नहीं किया गया है, तथापि प्रत्येक मुद्दे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से समीक्षा की जाकर सकारण, विवेचनात्मक एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश को और अधिक पुष्ट करने के लिए तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार है :—

6. **<u>तनकी संख्या 01</u> "आया वादी विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा पाने का अधिकारी है"** वादी/अपीलांट अपने हक में विवादित आराजी का आवंटन संवत 2017 में होना कथन करते हैं। परन्तु वादी/अपीलाण्ट ने उक्त आवंटन आदेश/पट्टा की प्रति पेश नहीं की गयी है। आवण्टन की पुष्टि के लिए आवश्यक है :—

(क) आवण्टन आदेश अथवा सनद।

(ख) आवण्टन उपरान्त कब्जा सौंपने का पत्र।

(ग) आण्टन आदेश के क्रम में नामान्तकरण।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवण्टी अपीलाण्ट ने उक्त में से एक भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी ग्राम भैसेना संवत 2068—71 के इन्द्राजो के अनुसार विवादित आराजी पर वादी/अपीलाण्ट गैर खातेदार दर्ज है। परन्तु वादी/अपीलाण्ट स्वयं अपने वाद पत्र में यह कह कर आया है कि बन्दोबस्त विभाग ने उसको गैर खातेदार दर्ज किया है। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध विभाग के अंकन प्रारम्भ से ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध थें। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2018—21 ग्राम भैंसेना के इन्द्राजो के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 289/1 रकवा 04 बीघा पर खचेरा, वेदरिया, छोटे कौम चमार सा0देह अलोटमेंट संवत 2017 होना तो दर्ज है। परन्तु उक्त जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी वादी/अपीलाण्ट खचेरा के अलावा अन्य व्यक्ति वेदरिया व छोटे के नाम भी विवादित आराजी पर दर्ज थे। वादी/अपीलाण्ट ने उक्त व्यक्तियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है कि उक्त वेदरिया व छोटे के नाम विवादित आराजी से किस प्रकार विलोपित हुये। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है एवं वादी/अपीलाण्ट का दावा मिस जोइंडर आफ पार्टी के दोष से भी ग्रसित होने के कारण काबिले खारिज है। अतः तनकी विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट पायी जाती है।

7. **<u>तनकी संख्या 02</u> " आया वादी के द्वारा विवादित आराजी पर अपने सोर्स आफ टेनेंसी को नहीं बताया गया है"** जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा अपने सोर्स आफ टेनेंसी साबित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे कि वह विवादित आराजी पर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हो। अतः तनकी विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर क्षेत्र-भरतपुर

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **"आया वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है और वादी के द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गयी है"** यह सही है कि वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा संवत 2015–18 में वादी/अपीलाण्ट का नाम दर्ज है। परन्तु खसरा संवत 2019–21 में वादी/अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं है। अतः वादी/अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट ने आवंटन के उपरान्त कब्जा सौपनें का पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही आवंटन आदेश के क्रम में नामान्तकरण ही पेश किया है। जैसा कि तनकी संख्या एक में आ चुका है। वादी/अपीलांट स्वयं अपने वाद पत्र में विवादित आराजी पर बन्दोबस्त विभाग द्वारा उन्हें गैर खातेदार दर्ज करना कथन करते हैं। बिना किसी आधार के बन्दोबस्त विभाग को गैर खातेदार दर्ज करने का अधिकार नहीं था। अतः तनकी विरूद्ध वादी/अपीलाण्ट तय की जाती है।

9. <u>अनुतोष</u> :– समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। वादी/अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना/समीक्षा की जाकर सकारण, विवेचनात्मक एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-01-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम धौलपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–58/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)

खचेरा पुत्र श्री वेदरिया जाति चमार निवासी ग्राम भैसेना तहसील व जिला धौलपुर। (मृतक)
1/1. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री खचेरा
1/2. श्रीमती रूपवती पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
1/3. बृजकिशोर पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
1/4. कमल किशोर पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खचेरा।
समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम भैसेना तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार धौलपुर।

.....वादी/रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 14.06.2017 प्रकरण संख्या 20/2013 उनवान खचैरा बनाम सरकार।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री अशोक सक्सैना अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2017 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....25.....माह.....01.....सन्.....2022.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।